न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प आरोली बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः 56/2014 दायर तारीख 12.11.2014

जीवालाल पिता दुर्गालाल जाति बंजारा उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिलोनाबडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादी

बनाम

1. देबीलाल पिता बालू जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. शंकरलाल पिता बालू जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
3. छोटूलाल पिता बालू जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
4. मनोज कुमार पिता जमना लाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
5. जमनी बाई पत्नि जमनालाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
मोहनलाल जोशी अधिवक्ता वादी
नितिन सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णयः— दिनांक 19.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरोली प0ह0 आरोली तह0 बिजौलियां की सरहद में वादी की खातेदारी कब्जेसुदा आ0नं0 444/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात पर वादी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है तथा वादी ही उक्त कृषि भूमि का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी कब्जेसुदा आराजीयात पर गत वर्ष मई 2013 से जबरन अनाधिकार प्रवेश करना प्रारम्भ कर शनेः शनेः उक्त आराजी के 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपने भूजबल व पाश्विक बल के आधार पर कबजा कर लिया वादी द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित आराजीयात की पत्थरगढी होने पर कब्जा छोड देने की सहमती दी। दिनांक 18.06.2014 को वादी ने अपने खाते की भूमि की पत्थरगढी करवाई तो वादी की खातेसुदा आराजीयात 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा प्रतिवादीगण का पाया गया। कब्जा छोडने के लिये कहा तो लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा वादी को झुठे मुकदमें फसाने की धमकी दी इसलिये मजबूरन वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्व वाद प्रस्तुत करना पडा। वादी ने अनुतोष चाहा कि मौजा आरोली प0ह0 आरोली स्थित आ0नं0 444/1 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

प्रतिवादीगण की और से वकील श्री नितिन सारस्वत ने प्रतिवादीगण 1, 2, 3 व 5 अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नं0 4 बावजूद इतल्हा गैर हाजिर रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 व 5 की और से पैरवी से इंकार किया।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खाते की नकल पेश क़ी है जो ईएक्स पी–1 है। नक्शा ट्रेस पेश किया है जो ईएक्स पी–2 है। जिन्स गिरदावरी की नकल पेश की है जो ईएक्स पी–3 है। मौका पर्चा, पत्थरगढी का प्रस्तुत किया है।

साक्ष्य वादी में वादी स्वयं के बयान के करवाये गये ।

साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू 1 जीवालाल पिता दुर्गालाल बंजारा निवासी बिलोनाबडी तह0 बिजौलियां के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मेरे ग्राम आरोली में 1 बीघा 15 बिस्वा जमीन है नम्बर याद नही है मेने जमीन मोल खरीदी है। तब से मेरा कब्जा चला आ रहा है। मेने 2014 से पत्थरगढी करवाई तब जानकारी हुई कि मेरे खाते की भूमि पर मनोज पिता जमनालाल कुम्हार निवासी आरोली देबीलाल पिता बालू, शंकर पिता बालू, छोटू पिता बालू कुम्हार का कब्जा पाया गया है। प्रतिवादीगण को कब्जा छोडने के लिये कहा तो इंकार हो गये। इनके साथ जमनी बाई कुम्हार भी मौके पर कब्जे संबंधी विवाद करती हो पुरी जमीन पर प्रतिवादीगणों का कब्जा है मेंने खाते की नकल पेश की है जो ईएक्स पी–1 है। नक्शा ट्रेस पेश की है जो ईएक्स पी–2 है। जिन्स गिरदावरी की नकल पेश की है जो ईएक्स पी–3 है। प्रतिवादीगणों का कब्जा विगत 3–4 सालो से है। प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर मुझे मेरी जमीन का कब्जा दिलाया जावे।

इसके अलावा वादी ने कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे शहादत वादी बंद की गई।

प्रकरण में दिनांक 16.05.2018 को वादी की बहस सुनी जाकर प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु विचारार्थ रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

वादी ग्राम आरोली की जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार आ0नं0 444/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जीवालाल पिता दुर्गालाल बंजारा सा0 बिलोनाबडी के नाम खातेदारी के रुप में दर्ज रिकार्ड है। पत्थरगढी के मौका पर्चा दिनांक 18.06.2014 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण देबीलाल पिता बालू कुम्हार, शंकर पिता बालू, छोटू पिता बालू कुम्हार निवासी आरोली तथा मनोज पिता जमनालाल कुम्हार निवासी आरोली का कब्जा पाया गया। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम आरोली प0ह0 आरोली स्थित आराजी नं0 444/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण देबीलाल पिता बालू कुम्हार, शंकर पिता बालू, छोटू पिता बालू कुम्हार निवासी आरोली तथा मनोज पिता जमनालाल कुम्हार निवासी आरोली को बेदखल किया जाकर, कब्जा हटवाया जाकर भूमि वादी को सिपूर्द कि जावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 19.06.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम आरोली केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

19/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां
(केम्प आरोली)